31/3/23 वाद / प्रार्थनापत्र वाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 28-5-23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

27/6/23 पत्रावली महंगाई राहत कैम्प ऐव प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 ग्राम पचांयत माण्डल मे पेश हुई, पिपक्षीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। प्रार्थिया का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर दा० द० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

हुक्मीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 40/23 प्रा०पत्र

1– श्रीमती रत्नी w/o श्री लेशी बैरवा निवासी- रहूंका तहसील- मांडल जिला- भीलवाडा

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री गोपाल s/o श्री रूपा बैरवा निवासी- रहूंका तहसील- मांडल (बांगा)
(प्रकाशित प्रा[illegible])

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि 1956

दिनांक– 27.7.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रहूंका पटवार हल्का रहूंका तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 611, 615/1, 753/615 कुल किता 03 रकबा 0.6450 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 31-03-23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक एवं न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम रहूंका पटवार हल्का रहूंका तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी न. 611, 615/1, 753/615 कुल किता 03 रकबा 0.6450 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक पीथास को 500/- रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुरतकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस मे प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023